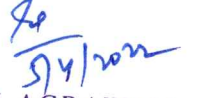


भाग—IV
(नोडल अधिकारी या प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रति कुछ टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाँच और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय।	17	मुख्य वन संरक्षक, ग्वालियर वृत्त, ग्वालियर द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार जिला दतिया एवं ग्वालियर अंतर्गत मॉ रतनगढ़ नहर परियोजना निर्माण हेतु वनमण्डल, दतिया के वन परिक्षेत्र सेवड़ा के कक्ष क्रमांक पी-7, 8, 9, 14, 15, 26 का रकबा 13.00 हेक्टेयर एवं वनमण्डल, ग्वालियर के वन परिक्षेत्र बैहट के कक्ष क्रमांक पी-178 एवं पी-179 का रकबा 4.63 हेक्टेयर इस प्रकार कुल 17.63 हेक्टेयर वन भूमि परियोजना प्रबंधक, मॉ रतनगढ़, पी.आई.यू.मौ., जिला भिण्ड को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	--

तिथि: 05/04/2022

स्थान: भोपाल


(SUNIL AGRAWAL)
Addl. P.C.C.F. (L.M.)
Madhya Pradesh, Bhopal